बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

विषय :– नयी अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने एवं निवेश विकल्प की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

केन्द्र सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या ..... 05/07/2003–ई०सी०वी–पी० आर०, दिनांक 22.12.2003 के आलोक में राज्य सरकार के वित्त विभागीय संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 के द्वारा दिनांक 01.09.2005 के प्रभाव से केन्द्र सरकार के अनुरूप राज्य में राष्ट्रीय पेंशन योजना (एन०पी०एस०) लागू की गयी है। यह एक अंशदान आधारित पेंशन योजना है, जिसमें किसी कर्मी को प्राप्त मूल वेतन एवं अनुमान्य महंगाई भत्ता के योग का 10 प्रतिशत कर्मी अंशदान एवं इसी के समतुल्य सरकारी अंशदान मासिक आधार पर की जाती है।

2. भारत सरकार के वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्या – F.No.1/3/2016-PR, दिनांक 31.01.2019 के द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित दिनांक 22.12.2003 की अधिसूचना में संशोधन करते हुए कर्मी अंशदान को 10. प्रतिशत रखते हुए सरकारी अंशदान की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया गया है तथा कर्मियों को पेंशन निधि एवं निवेश पैटर्न में चयन का विकल्प प्रदान किया गया है।

3. केन्द्र सरकार के उपर्युक्त निर्णय के आलोक में राज्य सरकार द्वारा भी समरूप व्यवस्था लागू करने का मामला विचाराधीन था, क्योंकि नेशनल पेंशन प्रणाली केन्द्र सरकार के समरूप राज्य में भी अंगीकृत की गयी है।

4. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 1964, दिनांक 31.08.2005 में निम्नवत संशोधन किया जाता है :–

(i) उक्त अधिसूचना के कंडिका–4 में "दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन से मूल वेतन+अनुमान्य जीवनयापन भत्ता के योग का 10 (दस) प्रतिशत राशि अंशदान के रूप में कटौती की जायेगी तथा उतनी ही राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी" को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है :–

"दिनांक 01.09.2005 को या उसके बाद राज्य सरकार के अधीन नियुक्त कर्मियों के मासिक वेतन से उनके मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के योग का 10 (दस) प्रतिशत राज्यकर्मी अंशदान के रूप कटौती की जायेगी तथा उनके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के योग का 14 (चौदह) प्रतिशत राशि नियोक्ता अर्थात् राज्य सरकार द्वारा अंशदान के रूप में दी जायेगी।"

(ii) एन०पी०एस० टीयर–1 में पेंशन निधि और निवेश पैटर्न के विकल्प की सुविधा देने हेतु उक्त अधिसूचना के कंडिका–11 के बाद निम्नांकित तीन प्रावधान कंडिका 12, 13 एवं 14 के रूप में प्रख्यापित किये जायेंगे :–

(A) **कंडिका–12 पेंशन निधि का विकल्प** : निजी क्षेत्र में अभिदाताओं के मामले के सदृश्य, सरकारी अभिदाताओं को भी निजी क्षेत्र पेंशन निधि सहित किसी भी पेंशन निधि का चयन करने की अनुमति दी जाएगी। वे वर्ष में एक बार अपने विकल्प को बदल सकते हैं। तथापि, सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध रहेगी।

(B) **कंडिका–13 निवेश पद्धति का विकल्प** : सरकारी कर्मचारियों को निवेश के निम्नलिखित विकल्प दिये जाऐंगे, यथा :–

(a) सरकारी कर्मचारियों के लिए विहित वर्तमान योजना मौजूदा और नये सरकारी अंशदाताओं के लिए स्वतः उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। इस योजना के अंतर्गत, पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रम क्षेत्र के तीन निधि प्रबंधकों के बीच उनके पूर्व के कार्य निष्पादन के आधार पर निधियाँ आवंटित की जाती है।

(b) वैसे सरकारी कर्मचारी जो न्यूनतम जोखिम राशि के साथ निर्धारित प्रतिफल के विकल्प का चयन करते हैं, को सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100% निवेश करने का विकल्प दिया जायेगा।

(c) जो सरकारी कर्मचारी उच्चतर प्रतिफल के लिए विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें जीवनचक्र पर आधारित निम्नलिखित दो योजनाओं का विकल्प दिया जायेगा :–

(i) परम्परागत जीवनचक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 25% निर्धारित होगी – (एलसी – 25)

(ii) सामान्य जीवनचक्र निधि, जिसमें इक्विटी में निवेश की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित होगी – (एलसी – 50)

(C) कंडिका–14 पुराने कॉर्पस के विकल्पों को लागू करना : सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के संबंध में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले भारी–भरकम पुराने कॉर्पस को मौजूदा पेंशन निधि प्रबंधकों से अंतरित करने का प्रभाव बाजार पर भी पड़ने की संभावना है। सरकारी अभिदाताओं को संचित निधि के संबंध में पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति को एक बारगी बदलने की अनुमति देने में पीएफआरडीए को व्यवहारिक कठिनाई हो सकती है। अतः सम्प्रति पेंशन निधि अथवा निवेश पद्धति में परिवर्तन की अनुमति केवल बढ़ी हुई निधि संबंध में ही दी जाएगी।

(iii) उपर्युक्त प्रावधान दिनांक 01.07.2019 के प्रभाव से लागू होगा।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक–वि०(27)पें०को०–10/2019 ..... दिनांक .....

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

ज्ञापांक–वि०(27)पें०को०–10/2019 717 दिनांक 29-7-19

प्रतिलिपि– महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट वित्त विभाग/सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग/प्रभारी पदाधिकारी, CFMS, वित्त विभाग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।

M.B
29-7-19

JC(KO)358